

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAMNATH MARG, DELHI-110054

Dated: 24.04.2015

NOTIFICATION

No.F.8 (33)/2013/DAM/MR/1418 . – In pursuance of the provisions of sub-section (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the following bye-laws are made and adopted for the Agricultural Produce Marketing Committee, Azadpur and confirmed by the Director, are hereby notified as under:

“ BYE-LAWS”

In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 and with previous approval of the Delhi Agricultural Marketing Board vide resolution No.94/2014 dated the 31.10.2014 the Agricultural Produce Market Committee, Azadpur hereby makes the following Bye-laws further to amend the Azadpur Agricultural Produce Market Committee bye-laws, namely:-

- Short title and Commencement 1. (i) These Bye-Laws may be called the Azadpur Agricultural Produce Market Committee (Amendment) Bye-Laws, 2015.
(ii) They shall come into force at once.
- Amendment of Bye-Law No. 49
- Charging of Commission from Purchasers instead of Sellers 2. Existing Bye-Law 49 (3) Part I is amended to the effect that though the Commission shall be charged at the existing rate of 6% but it shall be charged from the buyers and not from Farmers/Sellers.


(V. P. RAO)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

- : 2 : -

No.F.8 (33)/2013/DAM/MR/ 1419-1433

Dated: 24.04.2015

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, and Flower Marketing Committee, Gazipur, Delhi
11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.


(V. P. RAO)

**SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI**

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

कृषि विपणन निदेशालय

(विकास विभाग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सं. एफ 8 (33)/2013/डी0ए0एम0/एम0आर0/1418

दिनांक : 24.04.2015

अधिसूचना

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 118 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसरण में कृषि उत्पाद विपणन समिति आजादपुर द्वारा निर्मित और स्वीकृत तथा निदेशक द्वारा पुष्टिकृत निम्नलिखित उप-विधियाँ एतद् द्वारा अधिसूचित की जाती हैं :-

उपविधियाँ

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 118 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के दिनांक 31.10.2014 के संकल्प संख्या 94/2014 के पूर्व अनुमोदन से कृषि उत्पाद विपणन समिति, आजादपुर, कृषि विपणन समिति उपविधियों में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उपविधियाँ बनाती है, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :-

(1) ये उपविधियाँ आजादपुर कृषि उत्पाद विपणन समिति (संशोधन) उपविधियाँ, 2015 कहीं जायें ।

(2) ये तत्काल लागू होंगे ।

2 उप-विधि-49 का संशोधन

विक्रेता की अपेक्षा क्रेता से कमीशन वसूलना :-

वर्तमान उपविधि 49 (3) भाग 1 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि यद्यपि वर्तमान 6 प्रतिशत कमीशन दर लागू रहेगी परन्तु यह किसान/विक्रेता से नहीं अपितु क्रेता से वसूल की जायेगी ।

(वी. पी. राव)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं. एफ 8 (33)/2013/डो10ए0एम0/एम0आर0/1419-1433

दिनांक : 24.04.2015

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 4 सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 5 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 6 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 7 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 8 अध्यक्ष/ सचिव /सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, नई दिल्ली को सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के द्वारा।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को इस निवेदन के साथ कि दिल्ली असाधारण गजट खंड-4 में अधिसूचना प्रकाशित करा दी जाए और उसकी प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवाने के व्यवस्था कर दी जाए (दो प्रति)।
- 10 कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, एवं पुष्प विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।

(वी. पी. राव)

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार